

## पुलिस के विरुद्ध शिकायतें

### द प्रोफ़ेशनल स्टैंडर्ड्स डिपार्टमेंट

द प्रोफ़ेशनल स्टैंडर्ड्स डिपार्टमेंट (The Professional Standards Department) पुलिस के खिलाफ़ की गयी शिकायतों की छानबीन और अनुचित आचरण के मामले निपटाने के लिये ज़िम्मेदार है।

ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस जनता को ऊँचे स्तर की सेवा प्रदान करने के लिये वचनबद्ध है।

अगर आपको लगता है कि किसी पुलिस अफ़सर ने सही तरीके से, या निष्पक्षता के साथ बर्ताव नहीं किया है, तो आपको शिकायत करने का अधिकार है।

पहले, सोचकर तय कीजिये कि आपके मुताबिक उस पुलिस अफ़सर या उन पुलिस अफ़सरों ने क्या गलती की है। मिसाल के तौर पर, क्या वे बदतमीज़ी से पेश आये थे? क्या उन्होंने ज़रूरत से अधिक ज़बरदस्ती का प्रयोग किया था? क्या आपको गैरकानूनी तरीके से गिरफ़्तार किया गया था? क्या आपके अधिकारों को मान्यता नहीं दी गयी थी? अगर आपके हालात गैरमामूली नहीं हैं, तो आपको संबंधित हादसे के 12 महीनों के अंदर शिकायत कर देनी चाहिये।

अगर आपको पुलिस के खिलाफ़ शिकायत करनी है, तो कृपया नीचे दिये गये फ़ॉर्म को भरकर भेजिये जिसकी प्राप्ति की सूचना आपको 5 दिनों के भीतर मिल जायेगी।

### ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस (बीटीपी) के निर्देशन और नियंत्रण के तरीके के बारे में शिकायतें

पुलिस रिफ़ॉर्म ऐक्ट (Police Reform Act 2002) यानी पुलिस सुधार अधिनियम 2002 के अंतर्गत, पुलिस दल के निर्देशन और नियंत्रण के तरीके के बारे में शिकायतों को पुलिस अफ़सरों और पुलिस कर्मचारियों के बर्ताव के बारे में की गयी शिकायतों से अलग रखकर निपटाया जाता है। बीटीपी के निर्देशन और नियंत्रण के तरीके के बारे में हुई शिकायतों के प्रति हमारी यही नीति है।

### किस-किस तरह की शिकायतों को शामिल किया जाता है?

बीटीपी के किसी चीफ़ ऑफ़िसर के निर्देशन और नियंत्रण के तरीके से संबंधित हुई किसी भी शिकायत को निम्नलिखित में से एक के बारे में होना होगा :

- पुलिस के कार्य की संचालन-संबंधी नीतियाँ (जिसमें बर्ताव का कोई मुद्दा शामिल नहीं है)
- निर्देशन और नियंत्रण को प्रभावित करने वाले प्रबंध-संबंधी निर्णय
- बीटीपी में पुलिस के सामान्य कार्य से संबंधित स्तर
- संचालन-संबंधी प्रबंध के निर्णय (जिसमें बर्ताव का कोई मुद्दा शामिल नहीं है)।

**बीटीपी के शिकायत निपटाने के तरीके के लिये कौन ज़िम्मेदार है?**

शिकायत निपटाने के हमारे तरीके और हमारे दल के निर्देशन और नियंत्रण की ज़िम्मेदारी, चीफ़ कॉन्स्टबल (Chief Constable) और पुलिस अथॉरिटी (Police Authority) की है।

**आप मेरी शिकायत को किस तरह निपटारेंगे?**

हम आपकी शिकायत को रिकॉर्ड यानी दर्ज करेंगे और फिर उसे चीफ़ ऑफ़िसर (Chief Officer) या उनकी जगह पर काम करने वाले अफ़सर को भेज देंगे।

साधारण तौर, पर हम आपसे मिलने का प्रबंध करेंगे या आपको लिखेंगे ताकि हम आपको बता सकें कि हमने आपकी शिकायत के बारे में क्या पता किया है और हमने क्या करने का निर्णय लिया है। चाहे हम आपसे मिलें या आपको लिखें, हम अपने निर्णय का पूरा बयान आपको देंगे।

अगर हमें लगेगा कि हमको किसी विशेष नीति या प्रणाली का पुनरीक्षण करना चाहिये या उसे बदलने की ज़रूरत है, तो हम आपसे संपर्क करेंगे और आपको इसके बारे में बतायेंगे।

**क्या कोई ऐसी जानकारी भी है जो आप मुझे नहीं दे सकते हैं?**

आपकी शिकायत निपटारते समय जितना संभव हो सकता है, हम आपके साथ उतने खुलेपन के साथ पेश आयेंगे और हम जानते हैं कि फ्रीडम ऑफ़ इंफ़ॉर्मेशन ऐक्ट के अंतर्गत भी हमारे कुछ कर्तव्य हैं। फिर भी, कुछ जानकारी संवेदनशील हो सकती है जिसके संबंध में हम निर्णय ले सकते हैं कि उसे हम आपको नहीं दे सकेंगे।

**आपको मेरी शिकायत निपटाने में कितना समय लगेगा?**

हम आपकी शिकायत को शीघ्र निपटाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि हम किसी भी शिकायत को रिकॉर्ड करने के 28 दिनों के अंदर, उसका निपटारा कर दें। अगर हमें लगेगा कि हमको आपकी शिकायत के कारण अपनी किसी नीति का पुनरीक्षण करना चाहिये या उसको बदला चाहिये, तो हो सकता है कि हमें जवाब देने में इससे अधिक समय लग जाये। आपकी शिकायत पर विचार करने के दौरान हम आपको सूचित करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं।

**हमें भेजी जाने वाली शिकायतों से संबंधित सूचना**

ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस अथॉरिटी को हम वर्ष के दौरान अपने निर्देशन और हमें भेजी गयी शिकायतों की जानकारी चार बार देंगे।

**संबंधित लिंक यानी संपर्क**

- [Independent Police Complaints Commission \(IPCC\) website](#)
- [British Transport Police Authority](#)